संख्या:209/2019/284/35-4-2019

प्रेषक,

अनिल कुमार यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 19 मार्च,2019

विषय : केन्द्रीय सेक्टर की योजना सपोर्ट फार स्टैटिस्टिकल स्ट्रैन्थिनिंग ''एस0एस0एस0'' के अन्तर्गत जी0आई0एस0 आधारित सांख्यिकीय कार्यो/उत्पादों/क्रियाकलापों से संबंधित रिमोट एप्लीकेशन सेन्टर, उ0प्र0, लखनऊ से प्राप्त प्रस्तावानुसार कार्य कराये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-03/एस0एस0एस0-04(1)/2015, दिनांक 08.01.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उ0प्र0 के माध्यम से जी0आई0एस0 आधारित सांख्यिकीय कार्यो/उत्पादों/क्रियाकलापों पर आधारित पोर्टल से संबंधित कार्यो यथा साफ्टवेयर प्रोक्योरमेन्ट हेतु रू0 100.00 लाख, जियो-पोर्टल डेवलपमेन्ट हेतु रू0 255.00 लाख तथा कैपिसिटी बिल्डिंग हेतु रू0 45.00 लाख अर्थात कुल रू0 400.00 लाख के व्यय अनुमान दर्शाये गये है तथा रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, लखनऊ को उपरोक्त कार्यो के क्रियान्वयन हेतु योजना की कुल लागत रू0 400.00 लाख के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 मे रू0 100.00 लाख की धनराशि अग्रिम के रूप में तथा रू0 67.00 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में दिये जाने का अनुरोध भी किया गया है।

2- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्रीय सेक्टर की योजना सपोर्ट फार स्टैटिस्टिकल स्ट्रैन्थिनिंग ''एस0एस0एस0'' के अन्तर्गत शासनादेश संख्याः 30/1092/637/35-4-2018, दिनांक 01.10.2018 द्वारा स्वीकृत रू0 200.00 लाख (रूपयें दो करोड़) में से उपरोक्त कार्यो को कराये जाने हेतु अग्रिम के रूप में रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल अनुमति प्रदान करते है :-

(1) वित्त लेखा अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15 नवम्बर, 2017 के प्रस्तर-2 में उल्लखित शासनादेश दिनंक 25.10.1983 व अन्य संदर्भित शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) धनराशि अध्ययन कराने वाले संस्थानों को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो भी ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी संबधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(4) वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए लेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन करा दिया जायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उधम अनुभाग-2 द्वारा नवनिर्मित प्रोक्योरमेंट मैनुअल, 2016 के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.17 की व्यवस्था यदि प्रश्नगत प्रकरण में लागू होती है तो उक्त का ध्यान रखा जायेगा।

(6) वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्षक 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-001-निदेशन एवं प्रशासन-04-स्टेट स्ट्रेटेजिक स्टेटिस्टिकल प्लान के अन्तर्गत मद 42- अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

(8) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-ई-5-352/दस-2019, दिनांक 13 मार्च, 2019 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

( अनिल कुमार यादव )
विशेष सचिव।

संख्या:209/2019/284 (1)/35-4-2019-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग ) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, 9वां तल जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 25 के0जी0 मार्ग, नई दिल्ली-110001
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
7. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( ऋषिकेश दुबे )
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।